# प्रवेश एवं काउंसलिंग के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

## [Frequently Ask Questions]

| क्र.म. | समस्या | समाधान |
|---|---|---|
| 1 | फ्रिज और फ्लॉट में क्या अंतर है | फ्रिज का मतलब है आपको सीट पसंद है और आप इसी सीट को लॉक कर ऐडमिशन चाहते हैं<br>फ्लॉट का मतलब है कि आप इस सीट को रिजर्व रखते हुए बेहतर विकल्प हेतु अगले राउंड में दोबारा चॉइस लॉकिंग करना चाहते हैं |
| 2 | यदि अभ्यर्थी की जन्मतिथि मे त्रुटि हो। | help सेंटर के माध्यम से मूल जन्मतिथि प्रमाण पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र) के द्वारा जन्मतिथि मे परिवर्तन किया जा सकता है। |
| 3 | यदि अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता का विवरण गलत हो। | अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता मे कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है । |
| 4 | यदि अभ्यर्थी के पास form मे भरा गया पहचान पत्र (ID) उपलब्ध नहीं हो। | इस तरह के प्रकरण मे अभ्यर्थी के अन्य वैध पहचान पत्रों (IDs) को मांगा जा सकता है |
| 5 | यदि अभ्यर्थी ने अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ओपन बोर्ड से ली गई हो। | ओपन बोर्ड से ली गई शैक्षिक योग्यता मान्य होगी । |
| 6 | यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय गलत वर्ग का चयन किया गया हो तथा अभ्यर्थी का उसी वर्ग मे सीट आवंटित हुई हो। | help सेंटर के माध्यम से आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग मे परिवर्तन करना संभव होगा यदि अभ्यर्थी ने form भरते समय गलत वर्ग का चयन किया है । परंतु परिवर्तन से पूर्व अभ्यर्थी से लिखित रूप मे वर्ग परिवर्तित के लिए आवेदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ इस चरण मे अभ्यर्थी की सीट अलॉटमेंट भी निरस्त हो जाएगा तथा अभ्यर्थी अगले राउन्ड मे open वर्ग के साथ फिर से प्रतिभाग करेगा। |
| 7 | यदि अभ्यर्थी ने आवेदन भरते समय जेन्डर का चयन गलत किया गया हो तथा सीट आवंटित हो गई हो। | यदि अभ्यर्थी का जेंडेर फीमैल से मेल मे परिवर्तन किया जाता है । तो इस चरण मे अभ्यर्थी की सीट निरस्त हो जाएगी यदि सीट आवंटन मे फीमैल आरक्षण प्राप्त है। तथा अभ्यर्थी को अगले राउन्ड मे फिर से नई जानकारी के साथ प्रतिभाग करना होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी का जेंडेर मेल से |

| क्र.म. | समस्या | समाधान |
|---|---|---|
| | | फीमैल मे परिवर्तन किया जाता है तो अभ्यर्थी की सीट निरस्त नहीं होगी तथा इसी चरण मे प्रवेश पा जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी के जेंडेर मे परिवर्तन के लिए अभ्यर्थी से आवेदन लेना अनिवार्य होगा एवं इसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। |
| 8 | यदि अभ्यर्थी ने निर्धारित तिथि तक सीट acceptance फीस जमा नहीं की हो। | अभ्यर्थी के द्वारा counseling के अनुसार निर्धारित तिथि तक सीट अक्सेप्टन्स फीस जमा ना करने के कारण अभ्यर्थी की आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा यह सीट अगले चरण की सीट matrix मे जुड़ जायेगी। अभ्यर्थी को अगले चरण मे updated विकल्पों के साथ प्रतिभाग करना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई भी प्रक्रिया नहीं करता है तो वह अगले चरण मे प्रतिभाग करने के लिए पात्र होगा। |
| 9 | यदि अभ्यर्थी ने निर्धारित तिथि तक डाक्यमेन्ट सत्यापन नहीं कराया हो। | यदि अभ्यर्थी ने सीट acceptance शुल्क तथा counseling शुल्क जमा कर दिया लेकिन निर्धारित तिथि तक अपने दस्तावेज सत्यापित नहीं कराये है तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा अभ्यर्थी अगले चरण मे counseling मे भाग नहीं ले पाएगा । परंतु अभ्यर्थी अगले से अगले चरण मे counseling मे भाग ले पाएगा लेकिन अभ्यर्थी को पुनः सीट acceptance एवं counseling फीस जमा करनी होगी। |
| 10 | यदि अभ्यर्थी के पास मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। | DIGI LOCKER पर अंक पत्र / प्रमाण पत्र होने की दशा मे एवं अभिलेख (अंक पत्र / प्रमाण पत्र) खो जाने की दशा मे संबंधित विश्वविध्यालय / बोर्ड की वेबसाईट पर अंक पत्र / प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात दस्तावेज सत्यापन किया जा सकेगा। लेकिन अभिलेख (अंक पत्र / प्रमाण पत्र) खो जाने की दशा मे अभ्यर्थी को FIR की प्रतिलिपि भी जमा करनी होगी तथा अभ्यर्थी से इस आशय का undertaking लेना अनिवार्य होगा कि अगर भविष्य मे कोई विसंगति आती है तो सम्बन्धित |

| क्र.म. | समस्या | समाधान |
| --- | --- | --- |
| | | अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होगा एवं आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। |
| **11** | यदि अभ्यर्थी की आई0 टी0 आई0 trade, उस ब्रांच से नहीं है जिसमे प्रवेश लेना | अभ्यर्थी के द्वारा जिस लेटेरल एंट्री के लिए आवेदन किया गया है एसे अभ्यर्थी के पास सबंधित आई0 टी0 आई0 trade का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। |
| **12** | यदि अभ्यर्थी को प्रथम चरण मे सीट आवंटित हो गई है परंतु अभ्यर्थी ने कोई भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है। | यदि अभ्यर्थी सीट आवंटन के बाद counseling की कोई भी प्रक्रिया नहीं करता है तो सीट आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा तब भी अभ्यर्थी अगले चरण मे फिर से updated विकल्पों के साथ counseling करने के लिए पात्र होगा। |
| **13** | यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चरण मे प्रतिभाग ना किया हो। | यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चरण मे प्रतिभाग नहीं किया है फिर भी अभ्यर्थी आगामी समस्त चरणों मे प्रतिभाग करने के लिए पात्र होगा। |
| **14** | यदि अभ्यर्थी के फिंगर प्रिन्ट मैच नहीं हो रहे है। | यदि अभ्यर्थी का फिंगर प्रिन्ट मैच नहीं करता तो अभ्यर्थी के अन्य दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर, मूल प्रमाण पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी की पहचान कर सकते है तथा आवेदन के समय भरे गए डेटा से मिलान कर सकते है और साथ ही साथ exam के समय भरे गए डेटा से भी मिलान किया जा सकता है। |